प्रेषक,

आराधना शुक्ला,
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
2. समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
3. समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।
4. पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
5. समस्त अपर पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
6. समस्त परिक्षेत्रीय महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश।
7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उप पुलिस महानिरीक्षक (परिक्षेत्र), उत्तर प्रदेश।
9. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तर प्रदेश।

परिवहन अनुभाग-4 लखनऊ: दिनांक: 21 अप्रैल, 2017

विषय: केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-108 में गणमान्य व्यक्तियों के वाहन पर लाल बत्ती लगाए जाने तथा राज्य सरकार को स्वविवेकानुसार विभिन्न अधिकारियों को फ्लैशरयुक्त नीली बत्ती अनुज्ञा प्रदान करने के प्राविधानों को समाप्त किए जाने के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अधिसूचना संख्या-सा.का;नि.397(अ) दिनांक 20 अप्रैल, 2017 (छायाप्रति संलग्न) तथा केन्द्रीय मोटरयान नियमावली, 1989 के नियम-108 (प्रति संलग्न) का अवलोकन करने का कष्ट करें।

2- उल्लेखनीय है कि उक्त अधिसूचना मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा-110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त अधिनियम की धारा-212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार इस उद्देश्य से प्रकाशित किया गया है कि इसे राजपत्र में प्रकाशित होने के 10 दिनों की अवधि की समाप्ति के पश्चात् इसके अंतिमीकरण पर विचार किया जाय।

3- केन्द्र सरकार द्वारा उपरोक्त अधिसूचना (प्रारूप नियम) को इस आशय से प्रकाशित किया गया है कि किन्हीं आपत्तियों/सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से इस प्रकार उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पूर्व प्राप्त होंगें, विचार किया जाय। इस उद्देश्य से आपत्तियाँ/सुझावों यदि हों तो संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली-10001 को उक्त 10 दिनों के अंदर प्रेषित किए जा सकेंगें और तदोपरान्त केन्द्र सरकार द्वारा विचारोपरान्त अंतिम अधिसूचना जारी करने की यथावश्यक कार्यवाही की जायेगी।

4- उक्त के दृष्टिगत आपसे अनुरोध है कि कृपया अपने विभाग में सभी संबंधित को इसे प्रसारित करने का कष्ट करें, ताकि यदि कोई आपत्ति/सुझाव हो तो उसे उपरोक्त पते पर ससमय कृपया भेंजे तथा उसकी प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी उपलब्ध करायें। अत: कृपया उपरोक्तानुसार कार्यवाही करने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीया,

आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव।

.....2/

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या-14/2017/629(1)/तीस-4-2017 एवं तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2. सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
3. निजी सचिव, मा0 परिवहन मंत्री जी, उत्तर प्रदेश।
4. परिवहन आयुक्त, उत्तर प्रदेश लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि इस संबंध में आपत्तियॉं/सुझाव, यदि कोई हो तो कृपया शासन को दिनांक 25.04.2017 तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

आज्ञा से,

आराधना शुक्ला
प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 308] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 20, 2017/चैत्र 30, 1939
No. 308] NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 20, 2017/CHAITRA 30, 1939

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 20 अप्रैल, 2017

सा.का.नि. 397(अ).—केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 का और संशोधन करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केन्द्रीय सरकार, मोटर यान अधिनियम, 1988 (1988 का 59) की धारा 110 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बनाने का प्रस्ताव करती है, उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है ; और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप नियमों पर, उस तारीख से, जिसको भारत के राजपत्र में यथाप्रकाशित इस अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी जाती हैं, दस दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

केंद्रीय सरकार द्वारा उक्त प्रारूप नियमों की बाबत, ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर, जो किसी व्यक्ति से इस प्रकार विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व प्राप्त हों, विचार किया जाएगा ;

आक्षेप या सुझाव, यदि कोई हों, संयुक्त सचिव (परिवहन), सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, संसद् मार्ग, नई दिल्ली-110001 को ऊपर विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर भेजे जा सकेंगे ।

प्रारूप नियम

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय मोटर यान (संशोधन) नियम, 2017 है ।
(2) ये राजपत्र में इनके अंतिम प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. केंद्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 108 में,—

(क) उपनियम (1) के परंतुक में,—

(i) खंड (ii) में, "वायुपत्तनों, पत्तनों" शब्दों के स्थान पर, "वायुपत्तनों, पत्तनों, खानों और परियोजना स्थलों" शब्द रखे जाएंगे ;

(ii) खंड (iii) का लोप किया जाएगा ;

(iii) खंड (v) का लोप किया जाएगा ;

(ख) उपनियम (2) और उपनियम (3) का लोप किया जाएगा ;

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

(ग) उपनियम (4) में, "आपात ड्यूटी के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा और विनिर्दिष्ट रूप से राज्य सरकारों द्वारा विनिर्दिष्ट किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "ऐसी आपात ड्यूटी और आपदा प्रबंधन ड्यूटी, जो केंद्रीय सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएं, के लिए यानों पर ही अनुज्ञात होगा" शब्द रखे जाएंगे ;

(घ) उपनियम (5) और उपनियम (6) का लोप किया जाएगा ।

[फा. सं. आरटी-11036/24/2017-एमवीएल]

दक्षिता दास, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में अधिसूचना सं. सा.का.नि. 590(अ), तारीख 2 जून, 1989 द्वारा प्रकाशित किए गए थे और इनमें अंतिम संशोधन अधिसूचना सं. सा.का.नि. सं. .....(अ), तारीख..... द्वारा किया गया था ।

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 20th April, 2017

G.S.R. 397(E).—The following draft of certain rules further to amend the Central Motor Vehicles Rules, 1989, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 110 of the Motor Vehicles Act, 1988 (59 of 1988) is hereby published as required by sub-section (1) of section 212 of the said Act for information of all persons likely to be affected thereby; and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after expiry of a period of ten days from the date on which the copies of this notification as published in the Gazette of India are made available to the public.

2. Any objections or suggestions received from any person with respect to the said draft rules within the expiry of the period so specified will be considered by the Central Government.

3. Objections or suggestions, if any, may be sent to the Joint Secretary (Transport), Ministry of Road Transport and Highways, Transport Bhawan, Parliament Street, New Delhi-110001, within the period specified above.

DRAFT RULES

1. (1) These rules may be called the Central Motor Vehicles (Amendment) Rules, 2017.

   (2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Central Motor Vehicles Rules, 1989, in rule 108,—

   (a) in sub-rule (1), in the proviso,

      (i) in clause (ii), for the words "airports, ports", the words "airports, ports, mines and project sites" shall be substituted;

      (ii) clause (iii) shall be omitted;

      (iii) clause (v) shall be omitted;

   (b) sub-rules (2) and (3) shall be omitted;

   (c) in sub-rule (4), for the words "emergency duties and shall be specifically specified by State Governments", the words "such emergency and disaster management duties as may be specified by the Central Government" shall be substituted;

   (d) sub-rules (5) and (6) shall be omitted.

[F. No. RT-11036/24/2017-MVL]

DAKSHITA DAS, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* notification number G.S.R. 590(E), dated the 2nd June, 1989 and was last amended *vide* notification number G.S.R. _____(E) dated _____.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2017.04.20 20:17:44 +05'30'

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

[1][108. लाल, सफेद या नीले प्रकाश का प्रयोग (Use of red, white or blue light) —(1) कोई मोटर यान सामने की ओर एक लाल प्रकाश और पीछे की ओर लाल से अन्यथा प्रकाश को दर्शित नहीं करेगी :

किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि इस नियम के प्रावधान निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—

(i) वाहन की आंतरिक प्रकाश व्यवस्था; या

(ii) अम्बर प्रकाश, यदि किसी दिशा संकेतक या सबसे ऊपरी प्रकाश या एयर पोर्टस, पोर्ट की तरह के परिसरों के अंतर्गत संचालन हेतु उक्त परिसरों से बाहर सार्वजनिक सड़क पर गये बगैर वाहनों पर प्रयुक्त है;

(iii) केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार, जैसा मामला हो, के द्वारा समय समय पर यथा विनिर्दिष्ट उच्च महत्वपूर्ण व्यक्तिगण का अभिवहन करती हुयी एक वाहन;

(iv) गरीजों का अभिवहन करने हेतु प्रयुक्त एक अम्बुलेंस वैन पर वैगनी शीशा लगी हुयी बिलिकर प्रकार का लाल प्रकाश; या

(v) एक इलेक्ट्रिकल बल्ब के साथ लगायी गयी एक लैम्प रखती हुयी एक वाहन को, यदि बल्ब की शक्ति सात वाट से अधिक नहीं होती है और लैम्प फ्रास्टेड ग्लास या अन्य पदार्थ जो प्रकाश के विसरण को प्रभाव रखती है, के साथ लगायी जाती है;

(vi) पिछली नम्बर प्लेट को प्रकाशित करती हुयी सफेद प्रकाश;

(vii) पीछे की तरफ चलते समय प्रयुक्त सफेद प्रकाश;

(viii) कृषि क्षेत्र संचालन में जमीन पर कार्यकारी क्षेत्र में उपकरणों को प्रकाशित करने के लिये कृषि कार्य हेतु ट्रैक्टरों में लगायी गयी हल चलाने के समय का (Plough) प्रकाश,

(2) फ्लैशर के साथ नीले प्रकाश के प्रयोग को राज्य सरकार द्वारा अपने विवेक पर निर्धारित और अधिसूचित किया जायेगा।

(3) फ्लैशर के साथ या बगैर नीले प्रकाश के प्रयोग की अनुमति लाल प्रकाश का प्रयोग करने के हकदार उच्च महत्वपूर्ण व्यक्तिगण को अनुरक्षित करती हुयी वाहनों पर सबसे ऊपर के प्रकाश के रूप में प्रयोग हेतु दी जायेगी।

(4) बहु रंगी, लाल, नीला एवं सफेद प्रकाश के प्रयोग की अनुमति केवल आकस्मिक कर्त्तव्यों हेतु विनिर्दिष्टतया नामित वाहनों पर दी जायेगी और राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्टतया विनिर्दिष्ट होगी।

(5) महत्वपूर्ण व्यक्तिगण द्वारा वाहन के सबसे ऊपर लाल प्रकाश का प्रयोग किये जाने के बारे में सड़क परिवहन एंव उच्च पथ मंत्रालय द्वारा भारत का राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना सं० एस० ओ० 52 (ई), दिनांकित 11 जनवरी, 2002 के खण्ड (ड) के अधीन और उपनियम (2) के अधीन सम्बंधित राज्य सरकार द्वारा जारी की गयी अधिसूचनाओं के प्रकाशन के बारे में राज्य सरकार केन्द्रीय सरकार को सूचित करेगी।

(6) वाहन के महत्वपूर्ण व्यक्तिगण का अभिवहन नही किये जाने की दिशा में लाल या नीला प्रकाश, जैसा मामला हो, का प्रयोग नहीं किया जायेगा और काले रंग के आवरण से आवृत कर दिया जायेगा।]

[1][108-क निर्माण उपकरण वाहनों पर लाल या सफेद प्रकाश का प्रयोग.—कोई निर्माण उपकरण वाहन सामने में लाल प्रकाश और पीछे में लाल से अन्यथा प्रकाश को दर्शित नहीं करेगी :

किन्तु प्रतिबंध यह है कि इस नियम के प्रावधान निम्नलिखित को लागू नहीं होंगे—

(i) वाहन की आंतरिक प्रकाश व्यवस्था;

(ii) अम्बर प्रकाश, यदि किसी दिशा संकेतक या ऊपरी प्रकाश द्वारा सम्प्रदर्शित है;

(iii) पिछली या एक तरफ की रजिस्ट्रीकरण संख्या प्लेट को प्रकाशित करती हुयी सफेद प्रकाश,

(iv) पीछे की तरफ जाते हुये प्रयुक्त सफेद प्रकाश;

(v) उच्चपथ से दूर या निर्माण संचालनों में जमीन पर उपकरण के कार्यकारी क्षेत्र को प्रकाशित करने के लिये प्रदत्त प्रकाश।]

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।